

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2009 की सिविल अपील संख्या 8113

कुलपति, रांची

विश्वविद्यालय एवं अन्य अपीलकर्तागण

बनाम

झारखण्ड राज्य आवास

बोर्ड व अन्य उत्तरवादीगण

बेदखली - अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली - उत्तरवादी -स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने उत्तरवादी-विश्व विद्यालय को विश्व विद्यालय के कर्मचारियों के आवास हेतु फ्लैट्स का आवंटन किया --- आवंटन समझौते की शर्तों में आपेक्षित था कि विश्व विद्यालय कुल प्रतिफल की 10 प्रतिशत राशि की अदायगी करेगा और शेष राशि की अदायगी 180 क्रिस्तों में भुगतये होनी थी - विश्व विद्यालय ने फ्लैट्स पर कब्जा हासिल कर लिया और (इन में से) कुछ फ्लैट्स का आवंटन अपने कर्मचारियों को कर दिया - हालांकि, विश्व विद्यालय ने क्रिस्तों की अदायगी में चूक की, जिसके नतीजे में बोर्ड ने चूक की गई राशि की मांग उठाई-- विश्व विद्यालय इस राशि की अदायगी में विफल रहा और नतीजतन, बोर्ड ने आवंटन को रद्द कर दिया लेकिन यह तय किया कि फ्लैट्स के कुछ कब्जाधारकों (विश्व विद्यालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों) को विश्व विद्यालय के अनुरोध पर, फ्लैट्स का आवंटन कर देगा-इस के बाद विश्व विद्यालय को आभास हुआ कि उसके द्वारा बोर्ड को आवंटन हेतु भेजे जाने वाले निवेदन पत्र में कुछ ग़लत खेल हो रहा था और इसलिए उस ने निवेदन पत्रों को

खारिज कर दिया, और सम्बंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी कि वे ऐसे निवेदन पत्र पर कार्रवाई न करें और न ही बोर्ड को कोई भुगतान करें—इसके बावजूद, कर्मचारीगण (उत्तरवादी सं.4 एवं 5 सहित सेवानिवृत्त कर्मचारि) उन्हें फ्लैट्स के आवंटन हेतु बोर्ड को भुगतान किया और विश्व विद्यालय ने भी बिक्रय प्रतिफल राशि मद में कुछ भुगतान किया --- क्या सेवा निवृत्त कर्मचारी—उत्तरवादी सं. 4 एवं 5 फ्लैट्स के अनाधिकृत कब्जाधारी थे और क्या वे विश्व विद्यालय को फ्लैट्स के नाजायज़ इस्तेमाल और अनाधिकृत दखल के लिए दण्डात्मक किराया अदा करने के उत्तरदायी थे - निर्धारित: कब्जाधारी (उत्तरवादी सं.4 एवं 5) वैधानिक तौर पर फ्लैट्स में केवल तभी तक आवासित रह सकते थे जब तक वे विश्व विद्यालय की सेवा में थे और विश्व विद्यालय की नीती के अनुसार तय मकान किराया का भुगतान कर रहे थे - जिस दिन उनकी सेवा समाप्त हुई फ्लैटों पर उनका कब्जा अवैधानिक एवं अनाधिकृत हो गया और उन्हें अपने नियोक्ता को फ्लैटों का कब्जा हस्तगत करना उनका संविदात्मक एवं कानूनी दायित्व हो गया था - जहां तक उत्तरवादी सं. 4 एवं 5 द्वारा, विश्व विद्यालय के निर्देशों के विपरित, बोर्ड को जमा की गई राशि का सम्बंध है, यह उत्तरवादी सं.4 एवं 5 के पक्ष में कोई स्वतंत्र अधिकार स्थापित नहीं करता और न ही कर्मचारियों द्वारा यदि ऐसा कोई भुगतान किया गया हो तो वह बोर्ड की हैसियत से विश्व विद्यालय को किए गए फ्लैटों के आवंटन सम्बंधित अधिकार को किसी तरह का बिगाड़ पैदा करता है - आगे यह भी कि बोर्ड का खारजी आदेश रद्द हो गया था जब उसने विश्व विद्यालय से क्रिस्तों की एक-मुश्त राशि स्वीकार कर ली थी और परिणामतः मूल आवंटन विश्व विद्यालय के पक्ष में पुनर्स्थापित हो गया था - इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 फ्लैटों से निष्काषण के उत्तरदायी हो गए और विश्व विद्यालय को इनके अवैध इस्तेमाल एवं आवास के लिए दण्डात्मक किराया इनकी बेदखली तक के अवधि का अदा करने के उत्तरदायी भी. - सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों का निष्काषण) अधिनियम, 1971.

अपील स्वीकृत करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : 1. रिट पिटीशनर्स (उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5) को फ्लैटों में विधिपूर्ण आवासित रहने का अधिकार तभी तक कायम रह सकता है जब तक वे विश्व विद्यालय की सेवा में थे, और वह भी केवल विश्व विद्यालय द्वारा उसकी नीति के अनुसार तय मकान किराया अदा करने पर. दूसरे शब्दों में, रिट पिटीशनर्स अपने कब्जा धारण के अधिकार का उपयोग विश्व विद्यालय की योग्यता के रूप में, केवल अपने सेवा कार्यकाल की अवधि के दरम्यान अपेक्षित नियम एवं शर्तों के पूरा करने पर कर सकते थे, और कब्जाधारण का यह अधिकार उनके सेवा अवधि के अंत होने पर समापनीय था। [पैरा 19] [1090-सी]

2. यह विवाद में न ही है कि रिट पिटीशनर्स (उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5) अपनी सेवा से बहुत पहले रिटायर हो चुके थे और उसके बावजूद वे प्रश्नगत फ्लैटों को अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखे हुए थे। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सही अभिनिर्धारित किया है कि रिट पिटीशनर्स (उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5) विश्व विद्यालय की सेवा समाप्ति की तारीख के बाद से अनाधिकृत रूप से फ्लैटों के कब्जाधारक थे और

इसलिए वे फ़्लैटों से निष्कासन के उत्तरदायी थे और निष्कासन की तारीख तक इसके उपयोग एवं कब्ज़ा के लिए विश्व विद्यालय को दण्डात्मक किराया अदा करने के भी भागी थे। (पारा 21 एवं 22) (1090-एफ-जी)

3. उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 का यह तर्क कि चूंकि वे बोर्ड को कुछ राशि, फ़्लैटों के आवंटन के लिए, अपने निजी हैसियत से, विश्व विद्यालय द्वारा इस सम्बंध में लिए गए फैसले के अनुसार जमा कर चुके थे, उनके पक्ष में फ़्लैटों में रहने का एक अधिकार उपार्जित हो गया था, बावजूद कि उनकी सेवा का अंत हो चुका था, को खारिज किया जाता है एक से अधिक कारणों से। प्रथम, यह विवाद में नहीं है कि विश्व विद्यालय ने कर्मचारियों को फ़्लैटों के आवंटन का अपना निर्णय तुरंत वापस ले लिया था और चेतावनी भी दी थी कि बोर्ड के साथ निजी हैसियत से सीधे किसी प्रकार का लेन देन फ़्लैटों के सम्बंध में न करें अन्यथा उन्हें अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए यह पर्याप्त इशारा था कि निजी हैसियत से बोर्ड के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें: द्वितीय, यह भी विवाद में नहीं है कि विश्व विद्यालय ने पहला आवंटन आदेश रद्द होने के बाद मासिक क्रिस्तों का एकमुश्त भुगतान जारी रखा और बोर्ड ने, जैसा और जब हुआ, उसे मंजूर भी किया। आवंटन रद्द किए जाने के बाद बोर्ड द्वारा विश्व विद्यालय की ओर से किए गए भुगतान की स्वीकृति इस बात का सूचक है कि खारिजगी आदेश निरस्त हो गया और नतीजतन विश्व विद्यालय के पक्ष में किया गया पूर्व आवंटन बहाल हो गया: तृतीय, रिट पिटीशन में विवादक रिट पिटीशनर्स (कर्मचारीगण) और विश्व विद्यालय के बीच था क्योंकि रिट पिटीशनर्स फ़्लैटों पर विश्व विद्यालय के ज़रिए कब्ज़ा में आए थे। इसलिए वे लोग फ़्लैटों के सम्बंध में बोर्ड की हैसियत से कोई स्वतंत्र वाद हेतुक नहीं रखते थे, चतुर्थ, रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने अभिकथित स्वतंत्र संविदात्मक अधिकार का अनुपालन कराने हेतु संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का कोई सिविल वाद, बोर्ड के खिलाफ़ फाइल नहीं किया था। इसलिए, इनके अभिकथित विवाद फ़्लैटों के सम्बंध में बोर्ड की हैसियत से, इन कार्यवाहियों में नहीं जांचा जा सकता: पंचम, किसी भी तरह से, सिर्फ़ रिट पिटीशनर्स द्वारा बोर्ड को, विश्व विद्यालय के निर्देशों के विपरित, केवल 10,000- रुपये का भुगतान कोई स्वतंत्र अधिकार उनके पक्ष में उत्पन्न नहीं करता है और न ही कर्मचारियों द्वारा ऐसा कोई भुगतान, यदि किया भी गया हो तो इससे विश्व विद्यालय के फ़्लैटों से सम्बंधित अधिकार को किसी तरह का बिगाड़ होता है और अंततः, बोर्ड द्वारा विश्व विद्यालय से भुगतान को स्वीकार कर लेने की वजह से रद्दकरण निरस्त हो गया और मूल आवंटन दिनांकित 05.07.1976 विश्व विद्यालय के पक्ष में पुनःस्थापित हो गया (पारा 23 एवं 25) [1090-जी- एच,. 1091-ए ,बी।जी-

4. विश्व विद्यालय रिट पिटीशनर्स के विरुद्ध यथोचित प्राधिकारी के समक्ष लोक परिसर (अनाधिकृत कब्ज़ा धारियों के निष्कासन) अधिनियम, 1971 के अधीन प्रश्नगत फ़्लैटों से बेदखली के लिये कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा और कथित कार्यवाही में रिट पिटीशनर्स द्वारा उनके कब्ज़ा के अनाधिकृत हो जाने की तिथि से फ़्लैटों के परिदान तक भुगतेय दण्डात्मक किराये के बकाये के लिए दावा करने के लिये भी स्वतंत्र होगा। इसी प्रकार, रिट पिटीशनर्स एवं अन्य कर्मचारी (कब्ज़ा धारक) भी फ़्लैटों के आवंटन हेतु बोर्ड को चुकाई गई दावागत राशि सुसंगत दर पर ब्याज के साथ धनवापसी के लिए स्वतंत्र होंगे। (पारा 28 एवं 30) (1092-बी, डी)

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 8113/2009

एल.पी.ए. संख्या 440/2006 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 21.11.2006 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से गोपाल प्रसाद, अधिवक्ता।

प्रदीप कांत, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री ललिता कोहली, शरीफ हुसैन, दिव्यांशु सहाय, संजय गोयल मेसर्स मनोज स्वरूप एंड कंपनी की ओर से; पवन कुमार, हिमांशु शेखर, एस.डी. सिंह, सुश्री भारती त्यागी, सुश्री श्वेता एस., उत्तरवादिओं की ओर से, अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय **अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया। 1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 2006 के एल.पी.ए. संख्या 440 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.11.2006 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए एल.पी.ए. को दायर करने की अनुमति दी थी। यहां प्रतिवादी संख्या 9 और 10 हैं।

2. इस अपील में शामिल मुद्दों की सराहना करने के लिए, नीचे दिए गए तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक है।

3. अपीलकर्ता रांची स्थित विश्वविद्यालय है (जिसे आगे "विश्वविद्यालय" कहा जाएगा) जबकि प्रतिवादी संख्या 1 राज्य कानून के तहत बनाया गया राज्य आवास बोर्ड है (जिसे आगे "बोर्ड" कहा जाएगा)।

4. 05.07.1976 को, बोर्ड ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के निवास के लिए विश्वविद्यालय को 192 फ्लैट आवंटित किए, जिन्हें "रांची यूनिवर्सिटी हाउसिंग कॉलोनी" के रूप में जाना जाता है, जिसकी कुल कीमत रु. 42,24,000 / है।

5. आवंटन समझौते के संदर्भ में, विश्वविद्यालय को बोर्ड को कुल प्रतिफल का 10% भुगतान करना था और शेष धनराशि 180 मासिक किस्तों में प्रत्येक 31,195.30 रुपये में भुगतान करना था।

6. विश्वविद्यालय ने कुल प्रतिफल का 10% भुगतान किया और मासिक किस्तें देना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने वर्ष 1991 तक नियमित रूप से भुगतान किया। हालाँकि, शेष किस्तों का भुगतान करने में विश्वविद्यालय द्वारा कुछ चूक की गई।

7. इस बीच विश्वविद्यालय को फ्लैटों का कब्जा मिल गया और उन्होंने अपने कर्मचारियों को कुछ फ्लैट आवंटित कर दिए। इस बीच विश्वविद्यालय ने कुछ फ्लैटों को गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक के रूप में भी इस्तेमाल किया। इस बीच विश्वविद्यालय ने बोर्ड को कुल प्रतिफल के रूप में मासिक किस्तों के रूप में 5 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान किया।

8. हालांकि, 19.10.1989 को बोर्ड ने विश्वविद्यालय पर 2,62,44,149/- रुपए की मांग की, जिसमें आंशिक रूप से मूल राशि के लिए शेष राशि और चूक की गई राशि पर अर्जित ब्याज शामिल था। चूंकि विश्वविद्यालय ने 2,62,44,149/- रुपए की मांग को पूरा नहीं किया/भुगतान नहीं किया, इसलिए बोर्ड ने 29.11.1992 के आदेश द्वारा आवंटन रद्द कर दिया और फ्लैटों को कुछ ऐसे रहने वालों (कर्मचारियों) को आवंटित करने का फैसला किया जो उस समय तक सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन फ्लैटों पर कब्जा करना जारी रखा। यह आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड को किए गए अनुरोध पर किया गया था।

9. तथापि, 29.01.1993 को विश्वविद्यालय को एहसास हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों को फ्लैट आवंटित करने के लिए बोर्ड को आवंटन पत्र भेजने के पीछे कुछ गड़बड़ी थी, जो स्पष्ट रूप से कुछ रहने वालों के कहने पर किया गया था। इसलिए, विश्वविद्यालय ने तुरंत अनुरोध पत्र रद्द कर दिया और संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी कि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड को पहले भेजे गए अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और न ही अपनी व्यक्तिगत क्षमता में फ्लैटों का आवंटन प्राप्त करने के लिए बोर्ड को कोई भुगतान करना चाहिए। कर्मचारियों को यह भी चेतावनी दी गई कि वे संबंधित फ्लैटों के संबंध में बोर्ड के साथ कोई स्वतंत्र लेनदेन न करें, अन्यथा गलती करने वाले कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने 30.01.1993 को बोर्ड को यह भी लिखा कि विश्वविद्यालय अपनी ओर से राज्य से अनुरोध कर रहा है कि वह बोर्ड को शेष राशि के भुगतान की व्यवस्था करे ताकि वे आवंटन आदेश के अनुसार लेनदेन को पूरा कर सकें।

10. इसके बावजूद 19 कर्मचारियों ने फ्लैट आवंटन के लिए 10,000/- रुपये जमा कर दिये। इस बीच, विश्वविद्यालय ने अलग-अलग तारीखों पर बोर्ड को बिक्री पर विचार के लिए एक लाख रुपये, पांच लाख रुपये और कुछ और धनराशि का भुगतान भी किया। बोर्ड ने विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की गई उक्त धनराशि को भी स्वीकार कर लिया।

11. इन पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ, कर्मचारियों द्वारा बोर्ड और विश्वविद्यालय के खिलाफ तीन रिट याचिकाएँ दायर की गईं, अर्थात् रिट याचिका (सी) संख्या 3652/1996, रिट याचिका (सी) संख्या 3442/2002 और रिट याचिका (सी) संख्या 1342/2002, जिसमें बोर्ड को संबंधित फ्लैटों के लीज़ डीड को निष्पादित करने और उनके पक्ष में उक्त फ्लैटों को आवंटित करने का निर्देश देने के लिए परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई। विश्वविद्यालय ने कई आधारों पर इन रिट याचिकाओं का विरोध किया।

12. दिनांक 08.08.2006 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह माना गया कि रिट याचिकाकर्ता फ्लैटों पर अनधिकृत कब्जे में थे, क्योंकि उन्हें फ्लैटों पर कब्जा

बनाए रखने या फ्लैटों के संबंध में किसी भी तरह की राहत मांगने का कोई अधिकार नहीं था, सिवाय इसके कि वे फ्लैटों के गलत इस्तेमाल और कब्जे के लिए विश्वविद्यालय को दंडात्मक किराया अदा करें।

13. रिट याचिकाकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अंतर-न्यायालय अपील दायर की। विवादित आदेश द्वारा, खंडपीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए बोर्ड को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक अधिभोगी के पक्ष में आज के समय में प्रचलित नियमों और शर्तों के आधार पर और उनके बीच आपसी सहमति से तय किए गए फ्लैटों के पट्टे के विलेख को निष्पादित करे।

14. इस आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय व्यथित है तथा उसने इस न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति के तहत वर्तमान अपील दायर की है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद और प्रतिवादी(ओं) के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत को सुना गया।

16. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, हम अपील को स्वीकार करने, विवादित आदेश को अपास्त करने तथा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल करने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

17. हमारे सुविचारित मत में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण, तर्क और निष्कर्ष, नीचे उल्लिखित कारणों से, खंडपीठ के दृष्टिकोण की तुलना में न्यायसंगत, कानूनी और उचित थे।

18. सबसे पहले, यह विवाद में नहीं है कि बोर्ड द्वारा किया गया फ्लैटों का मूल आवंटन विश्वविद्यालय के पक्ष में था। दूसरे, यह भी विवाद में नहीं है कि विश्वविद्यालय ने आवंटन आदेश के अनुसार बोर्ड को पर्याप्त भुगतान किया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था। तीसरा, यह भी विवाद में नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे, और इसलिए उन्हें उनकी रोजगार शर्तों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा फ्लैट आवंटित किए गए थे। दूसरे शब्दों में, रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने नियोक्ता यानी विश्वविद्यालय के माध्यम से फ्लैटों पर कब्जा कर लिया। यदि वे विश्वविद्यालय के रोजगार में नहीं होते, तो वे बोर्ड के साथ अनुबंध की गोपनीयता के अभाव में उस समय अपने व्यक्तिगत अधिकार में इन फ्लैटों पर कब्जा नहीं कर पाते।

19. हमारी सुविचारित राय में, रिट याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादी संख्या 4 और 5) का फ्लैटों पर वैध कब्जे में रहने का अधिकार केवल तब तक बना रह सकता है जब तक वे विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, और वह भी विश्वविद्यालय द्वारा उनकी नीति के अनुसार निर्धारित मकान किराए के भुगतान पर। दूसरे शब्दों में, रिट याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में अपने कब्जे के अधिकार का प्रयोग केवल अपनी सेवा अवधि के दौरान ही कर

सकते हैं, बशर्ते कि वे अपेक्षित नियमों और शर्तों को पूरा करें और उनका कब्जे का अधिकार उनकी सेवा अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो सकता है।

20. जिस दिन उनकी सेवाएँ समाप्त हुईं, चाहे उनके त्यागपत्र देने के कारण, या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या किसी अन्य कारण से, फ्लैटों पर कब्जा जारी रखने का उनका अधिकार समाप्त हो गया। फ्लैटों पर उनका कब्जा गैरकानूनी और अनधिकृत हो गया। वे अपने नियोक्ता यानी विश्वविद्यालय को फ्लैटों का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने के लिए संविदात्मक और कानूनी दायित्व के तहत थे ताकि विश्वविद्यालय अन्य कर्मचारियों को फ्लैट आवंटित करने में सक्षम हो सके जो आवंटन के लिए पात्र थे।

21. इसमें कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 4 और 5) बहुत पहले ही अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके थे और फिर भी उन्होंने प्रश्नगत फ्लैटों पर अवैध कब्जा बनाए रखा।

22. हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या को सही ठहराया है। 4 और 5 (रिट याचिकाकर्ता) उस तारीख से फ्लैटों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे थे जब वे विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं थे और इसलिए उन्हें फ्लैटों से बेदखल किया जा सकता था और वे उनके लिए विश्वविद्यालय को दंडात्मक किराया भी देने के लिए उत्तरदायी थे। उनके निष्कासन की तारीख तक उपयोग और कब्जा। अब तक ऐसा नहीं किया गया है।

23. हम प्रतिवादी सं. 4 और 5 (रिट याचिकाकर्ता) के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस कथन से प्रभावित नहीं हैं, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादी सं. 4 और 5) ने विश्वविद्यालय द्वारा उनके संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में फ्लैटों के आवंटन के लिए बोर्ड के पास कुछ धनराशि जमा की थी, इसलिए उनके पक्ष में यह अधिकार उत्पन्न हो गया था कि वे अपने व्यक्तिगत अधिकारों के तहत विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने के बाद भी फ्लैटों पर कब्जा बनाए रख सकते हैं।

24. यह प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से अस्थिर है और एक से अधिक कारणों से अस्वीकृति के योग्य है।

25. सबसे पहले, इसमें कोई विवाद नहीं है कि विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को तुरंत फ्लैट आवंटित करने का अपना निर्णय वापस ले लिया था और उन्हें चेतावनी भी दी थी कि वे फ्लैटों के संबंध में सीधे बोर्ड के साथ कोई लेनदेन न करें, अन्यथा उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई. यह कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संकेत था कि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बोर्ड के साथ किसी भी तरह का व्यवहार न करें: दूसरा, यह भी विवादित नहीं है कि प्रारंभिक आवंटन आदेश रद्द होने के बाद भी विश्वविद्यालय एकमुश्त मासिक किश्तों का भुगतान करता रहा। बोर्ड और बोर्ड भी विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किए जाने पर पैसे स्वीकार करते रहे। बोर्ड द्वारा रद्द करने के बाद विश्वविद्यालय से भुगतान की स्वीकृति रद्द करने के आदेश

को रद्द करने के समान थी और इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के पक्ष में किए गए प्रारंभिक आवंटन की बहाली हुई: तीसरा, रिट याचिकाओं में मुद्दा रिट याचिकाकर्ताओं (कर्मचारियों) के बीच था) और विश्वविद्यालय क्योंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के माध्यम से फ्लैटों पर कब्जा कर लिया था। इसलिए, उनके पास बोर्ड के लिए फ्लैटों के मुद्दे के संबंध में कार्रवाई का कोई स्वतंत्र कारण नहीं था; चौथा, रिट याचिकाकर्ताओं ने फ्लैटों के संबंध में अपने कथित स्वतंत्र संविदात्मक अधिकार को लागू करने के लिए बोर्ड के खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया। इसलिए, फ्लैटों के संबंध में उनके कथित विवाद बोर्ड के अधीन नहीं थे, इसलिए इन कार्यवाहियों में शामिल नहीं किया जा सकता था:

पांचवां, किसी भी स्थिति में, विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा बोर्ड को मात्र 10,000 रुपए का भुगतान करने से उनके पक्ष में कोई स्वतंत्र अधिकार निर्मित नहीं हुआ और न ही ऐसा भुगतान, भले ही कर्मचारियों द्वारा किया गया हो, बोर्ड के रूप में फ्लैटों के आवंटन के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित करता है और अंत में, बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय से भुगतान स्वीकार करने के कारण रद्दीकरण निरस्त कर दिया गया है, दिनांक 05.07.1976 का मूल आवंटन विश्वविद्यालय के पक्ष में बहाल हो गया।

26. उपरोक्त चर्चा/कारणों के आलोक में, हम डिवीजन बेंच के तर्क और निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ सहमत होने के इच्छुक हैं।

27. इस प्रकार अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। विवादित आदेश को रद्द किया जाता है, तथा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल किया जाता है। जिस रिट याचिका से यह अपील उत्पन्न हुई है, उसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

28. यह ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि विश्वविद्यालय को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित कार्यवाही दायर करके, संबंधित फ्लैटों से बेदखल करने की मांग करने वाले रिट याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी तथा वह उक्त कार्यवाही में, फ्लैटों और विश्वविद्यालय में उनके अनधिकृत कब्जे की तिथि से लेकर उनके सुपुर्द होने तक रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा देय दंडात्मक किराये के बकाया का भी दावा कर सकता है।

29. विश्वविद्यालय को राज्य के हस्तक्षेप से बोर्ड के साथ फ्लैटों के आवंटन के मुद्दे को शीघ्रता से अंतिम रूप देने की भी स्वतंत्रता है। यह विश्वविद्यालय और उसके सेवारत कर्मचारियों के हित में होगा।

30. इसी प्रकार, रिट याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारी (कब्जाधारी) भी बोर्ड से अपनी भुगतान की गई राशि वापस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे उन्होंने फ्लैटों के आवंटन के लिए बोर्ड के पास उचित दर पर ब्याज सहित जमा करने का दावा किया था।

31. रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध पर, बोर्ड बाहरी सीमा के रूप में सत्यापन के बाद मांग करने की तारीख से तीन महीने के भीतर रिट याचिकाकर्ताओं और ऐसे किसी भी कर्मचारी को पैसा वापस कर देगा।

32. इस आदेश के आलोक में, हस्तक्षेप आवेदन और अभियोग आवेदन का निपटारा किया जाता है।

.....जे.

[अभय मनोहर सप्रे]

.....जे.

[इंदु मल्होत्रा]

नई दिल्ली;

23 अक्टूबर 2018.

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) के द्वारा किया गया।